AIR No 42/2021-22

342

| प्रस्तर | आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|---|
| प्रस्तर 1<br>(भाग 2ब) | **Unauthorised payment of Transport Allowance Rs. 22.93 lakh.**<br>As per Office memorandum No. 21/3/2020-E.II (B) dated 1st December, 2020 of Government of India, Ministry of Finance, and Department of expenditure has been clarified to make of payment of Transport Allowance.<br>Subject: Clarification regarding admissibility of Transport Allowance during Nation-wide Lockdown due to COVID-19 pandemic.<br>In pursuance of above letter Department of expenditure (DOP&T) clarified-<br>(i) Transport Allowance is granted to Central Government employees to compensate them for the cost incurred on account of commuting between residence and office. The Central Government employees, who could not attend office in a whole calendar month during Lockdown period, are not eligible to draw Transport Allowance for that month employees had not incurred any expenditure for commuting office.<br>(ii) The Central Government employees, who could not attend office and worked from home in a whole calendar month, are not eligible to draw Transport Allowance for that month as these employees had not incurred any expenditure for commuting office.<br>(iii) Physically disable employees and pregnant women employees who were exempted to attend office and wee directed to work from home during exempted period as per instructions issued by DOP&T, are not eligible to draw Transport Allowance during exemption period as these employees have not incurred any expenditure for commuting office.<br>(iv) The non0entitled officers/officials, who are temporarily provided with facility of official car for commuting between office and residences throughout the whole calendar month on account of no-availability of public transport facility due to COVID-19 pandemic, are also not eligible to draw Transport Allowance.<br>During scrutiny of records relating to Transport Allowance (T.A.) for the month of April/May 2020 it is observed that the Transport Allowance of Rs. 2293434.00 (Rs. 1752192.00+Rs. 541242.00) has been paid to different officers/officials of the Institute in the month of April/May 2020 in contravention of the above order. Those who officer/officials did not attend office during the COVID-19 pandemic. Hence these are not eligible to draw Transport Allowance (List of details payment is enclosed).<br>The above payment of Rs.2293434.00 which has been paid to the concerned officers/officials. Hence the Institute is liable to be recovered the unauthorized payment incompliance to the above order of Ministry.<br>The unit replied that the transport allowance was paid for the month of April/May 2020 on the basis of declaration duly forwarded by concerned in-charge regarding their duty is in respective department/office. Some official name included in the list wrongly because they are new entrants. The reply is tenable because that unit could not produce the order of any competent authority, so that it can be proved that any staffs was called to the office during the lockdown period and no reply given for the month of April 2020. Newly joined officials name have been removed from the list after verification.<br>The matter of payment unauthorised transport allowance is brought to the notice. | According to Office Memorandum Ministry of Finance dated 01.12.2020, the transport allowances for the month of April/May 2020 should not be paid to the employees of Academic staff.<br><br>The unauthorised payment of Transport Allowances has been recovered from the salary of MNNIT Allahabad employees for the month of February/March 2022 (list enclosed).<br><br>1. According to Rule if the absence of employee does not cover any calendar month in full, transport allowance will be admissible for full month.<br><br>2. In the list attached with para-1 Part 2B, two faculty members at Sl No. 2 and 3 named Prof. K.K. Shukla and Prof. Vinod Yadava was on deputation and not payment of transport allowance has been made to them.<br><br>3. Regarding physical presence of faculty/ non faculty members is based on the information received from concern section / Department of the Institute.<br><br>4. After proper checking Rs. 2,37,978.00 irregular payment of Transport Allowance has been recovered from the salary of employee for the month of July 2020. Similarly Rs. 4,32,741.00 irregular payment of transport allowance in April 2020 has been recovered from the salary of February/March 2022. Recovery has been completed (datails attached).<br><br>The para may please be dropped. |

12/5/22

12/5/22

313

| आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|
| **Subject Unauthorised provision of 1% Labour Cess Rs. 17,24,561.00.**<br>As per Analysis of rat of CPWD the entire dues (Water charges, cess, GST etc.) have been incorporated in per cum/per sqm cost of building and road materials and also on other cost.<br>Scrutiny of details estimate on which technical sanction has been accorded by the competent authority revealed that the unauthorized provision of 1% labour cess in the technical sanction of detailed estimate has been made in contravention of Analysis of rate. The cost of preliminary estimate and amount of Administrative approval and expenditure sanction and details of technical sanction is given in the table below.<br>(Amount in Rs.) | In DAR (Analysis of Rate for Delhi) 2016 there was no provision of 1% labour cess (Annexure A attached). But in DSR (Delhi Schedule of Rate), the provision of 1% labour cess was incorporated in the preliminary estimate of work.<br><br>During the execution of work the labour cess @1% deducted from each bill of work (Annexure C-1 attached). There is no unauthorised provision of labour cess in estimates of work.<br><br>In this case it is also to mention the provision of 1% labour cess was introduced in DAR 2018.<br><br>Now keeping in view the above facts para may please be dropped. |

| Sl. No. | Name of works | Cost of preliminary estimate | Amount of Administrative approval and expenditure sanction | Amount of technical sanction | Amount of 1% labour cess | Date of start | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | External painting of all buildings in Residential & Academic campus of the Institute, CV Raman & Tagore Hostel | 50928800 | 50928800 | 50320200 | 503202 | 06.04.19 | 10.06.21 |
| 2. | Providing & lying of Water proofing treatment for Boys and Girls Hostel | 22685700 | 22685700 | 2063260 | 206326 | 27.03.19 | 28.07.20 |
| 3. | C/o Drainage system for Academic & Hostel Campus and Reconstruction of Road in Hostel campus | 90898000 | 90898000 | 8096510 | 809651 | 07.09.18 | 07.09.20 |
| 4. | SITC of lift at various building | 25111400 | 25111400 | 2053828 | 205382 | - | - |
| | | | | | Total | 1724561 | |

In contravention of analysis of rate, by making the unauthorized provision of Rs. 1724561.00 relating to the Labour Cess had been made in the technical sanction and it was paid to the executing agency by inflating rate in the cost of T.S.

The unit reply that the estimate of the work is from the before the start of CPWD analysis of rate.

The reply of the unit is not tenable because the said works where started from 2018-19 and the 2019-20 and the unit failed to produced any type of documentary evidence to prove that at that time the analysis of rate not applicable.

Unauthorised provision of Rs. 17.25 lakh on account of labour cess is brought to the notice of higher authorities to take appropriate action.

| प्रस्तर | आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|---|
| प्रस्तर 5 (भाग 2ब) | **संस्थान द्वारा आवासीय कालोनियों से विद्युत बिल की धनराशि रू0 3525.14 लाख कम वसूल कर उसका भुगतान शासकीय बजट से किया जाना।**<br>संस्थान के विद्युत बिलों से संबन्धित अभिलेख एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित विभिन्न श्रेणी के आवासों से संबन्धित पत्रावली अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के आवासों हेतु न्यूनतम विद्युत कर (Flate Rate) संस्थान द्वारा वेतन से प्रतिमाह कटौती कर दिनांक 01.02.2014 से जमा किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विद्युत रिगुलेटरी आयोग (Uttar Pradesh Electricity Board Regulatory Commission) और इलेक्ट्रिसिटी बिल कलकुलेटर के अनुसार 100 यूनिट सिंगल फेज के कन्जम्पसन और न्यूनतम 2 किलोवाट के कनेक्सन पर फ्लैट रेट विद्युत बिल की वसूली रू0 838.00 प्रतिमाह निर्धारित होनी चाहिये। संस्थान द्वारा कम वसूली कर शासकीय बजट से आवासीय कालोनियों का विद्युत बिल जमा किया गया है जो निम्नलिखित है:– | श्रीमान्<br>संस्थान के आवासीय कालोनियों के विद्युत बिल का भुगतान शासकीय बजट से किये जाने सम्बन्धित आडिट आपत्ति के विषय में अवगत कराना है कि:–<br>1. अध्यावासियों द्वारा खर्च किये विद्युत बिल का भुगतान उनसे वसूल करके किया गया है।<br>2. शासकीय बजट से प्राप्त राशि से अध्यावासियों के बिलों का भुगतान करने की आपत्ति निराधार है। आडिट टीम द्वारा दिया गया आकणन सही नहीं है।<br>3. इस संस्थान से विद्युत विभाग को किये गये विद्युत भुगतान का 94–95 प्रतिशत खर्च संस्थान के कार्यालय भवन, संस्थान के लैब अस्पताल तथा विभिन्न छात्रावासों पर खर्च हुआ है।<br>4. 400 के0वी0ए0 के 8 ट्रान्सफार्मर एवं 100 के0वी0ए0 का एक ट्रान्सफार्मर अर्थात कुल 3300 के0वी0ए0 हेतु 9 ट्रान्सफार्मर संस्थान के परिसर में लगे हैं। 400 के0वी0ए0 के 7 ट्रान्सफार्मर अर्थात कुल 2950 के0वी0ए0 की क्षमता हेतु 8 ट्रान्सफार्मर संस्थान के छात्रावासों में लगे हैं। केवल 500 के0वी0ए0 के (250 के0वी0ए0 x 2) के दो ट्रान्सफार्मर आवासीय परिसर में लगे हैं।<br>इस संस्थान से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को जिस धनराशि का भुगतान किया गया है उसका 94–95 प्रतिशत खर्च संस्थान के भवन, लैब, अस्पताल तथा विभिन छात्रावासों पर खर्च होता है। आडिट दल द्वारा 100 यूनिट सिंगल फेस के खर्च पर फ्लैट रेट का विद्युत बिल 838 रूपये दर्शाया गया है वह सही नहीं है। इसके समर्थन में आडिट टीम द्वारा किसी भी नियम की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गयी है।<br>अध्यावासियों द्वारा खर्च किये गये विद्युत बिल का भुगतान उनसे वसूल करके ही किया गया है। |

| क0 सं0 | आवंटित आवास का प्रकार एवं संख्या | आवासों की संख्या | संस्थान द्वारा वसूल की गयी राशि प्रतिमाह दिनांक 01.02. 2014 | विद्युत विभाग के अनुसार न्यूनतम 2 KW पर 100 यूनिट न्यूनतम Consumption दर रू0 प्रतिमाह | अन्तर रू0 प्रतिमाह F=(E-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Dormitory | 1 | 275 | 838 | 563 |
| 2 | H Type | 40 | 275 | 838 | 563 |
| 3 | G Type | 84 | 450 | 1371 | 921 |
| 4 | D Type | 16 | 625 | 1905 | 1280 |
| 5 | C Tpye | 68 | 625 | 1905 | 1280 |
| 6 | IH Type | 44 | 625 | 1905 | 1280 |
| 7 | W Type | 4 | 900 | 2443 | 1543 |
| 8 | B Type | 28 | 900 | 2443 | 1543 |
| 9 | A Type | 27 | 1175 | 3580 | 2405 |
| 10 | Director Residence | 01 | 1250 | 3809 | 2559 |
| | Total | 312 | 7100 | 21037 | 13937 |

विगत 7 वर्षों की अवधि (01.02.2014 से 31.03.2021 कुल माह 86) में विद्युत बिल के रूप में आवासीय भवनों से वसूल की जाने योग्य धनराशि रू0 352514282/– होनी चाहिये जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

| Year | Electricity charges collected by Institute | Electricity charges to be collected as per Audit (for as per 84 month) | Difference (in Rupee) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 14200 | 42074 | 27874 |
| 2014-15 | 1899543 | 52180128 | 50280585 |

279

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1906733 | 52180128 | 50273395 |
| 2016-17 | 1835870 | 52180128 | 50344258 |
| 2017-18 | 1812831 | 52180128 | 50367297 |
| 2018-19 | 1786609 | 52180128 | 50393519 |
| 2019-20 | 1766451 | 52180128 | 50413677 |
| 2020-21 | 1766451 | 52180128 | 50413677 |
| Total | 12774488 | 365302970 | 352514282 |

इस प्रकार आवास आवंटित कर्मचारियों से रू0 352514282/– का विद्युत बिल (वर्ष 2013–14 से 2020–21 तक) कम वसूल कर उसका भुगतान शासकीय बजट से किया गया है जो कि अनियमित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संस्थान द्वारा उत्तर में बताया गया कि the calculation by audit was done on new tariff rates, but the arrear demend was for 2013-14, so the calculation of amount is not in accordance since at that thime old tariff rates were applicable.

उत्तर मान्य नही है क्योंकि इस बिन्दु को विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था। किन्तु वर्तमान में भी नई दर लागू हो जाने के पश्चात पुराने दर से ही विद्युत बिल की कटौती प्रति माह के वेतन से की जा रही है।

अतः संस्थान द्वारा आवासीय कालोनियों से विद्युत बिल की धनराशि रू0 3525.14 लाख कम वसूल किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक 7 वर्षों में अध्यावासियों से रू0 127.06 लाख की धनराशि विद्युत खर्च के रूप में वसूल करके विद्युत विभाग को जमा किया गया। शासकीय बजट से कोई भुगतान नहीं किया गया है।

अतः आडिट आपत्ति समाप्त करने का कष्ट करें।

12/5/22

12/5/22

275

| प्रस्तर | आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|---|
| प्रस्तर 6 (भाग 2ब) | **विद्युत बिलों पर 1 प्रतिशत की दर से छूट (Rebate) का लाभ न प्राप्त किया जाना रू0 2.71 लाख।**<br>उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये विज्ञापन संख्या 280/hx/uppcl/v-1974-1204-c/2019 dated 07.09.2019, के अनुसार यदि विद्युत बिल का भुगतान निर्धारित तिथि या उसके पहले कर दिया जाये तो विद्युत बिलों पर 1 प्रतिशत की छूट (Rebate) प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ उक्त विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त तिथि से रेगुलेटरी सरचार्ज को भी समाप्त कर दिया गया है।<br>संस्थान के विद्युत बिलों की जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा वर्ष 2020–21 (अप्रैल–2020 से मार्च–2021) तक रू0 2,70,80,666/– का भुगतान किया गया है, जिन माहों में बिल विलम्ब से जमा किया गया है उनका विवरण निम्नलिखित है:–<br><br>इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2,70,80,666/– जो कि समय से या समय से पूर्व जमा न किये जाने के कारण इकाई ने 1 प्रतिशत की दर से रू0 2,70,806/– का लाभ प्राप्त नहीं किया है। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि the rebate request is been done to UP Power Corportation the amount will be recovered/adjested soon. उत्तर मान्य नही है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त राशि का समायोजन विद्युत विभाग से नही कराया गया।<br>प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। | श्रीमान्<br>छूट का लाभ न मिलने से सम्बन्धित आपत्ति पर अवगत कराना है कि:–<br>1. दिये गये विवरण में 8 माह की देय तिथि तथा भुगतान तिथि दर्शायी गयी है उसमें मात्र 4 माह में विलम्ब से जमा किया गया है। चार माह में देय तिथि के अन्दर ही विद्युत बिल जमा कर दिया गया है विवरण इस प्रकार है:–<br><br>इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना है कि 1 प्रतिशत के छूट का लाभ जिन महीनों में नहीं मिल पाया था उसके लिए इस संस्थान से यू0पी0 पावर कारपोरेशन को पत्र लिखा गया था। सितम्बर 2021 में सभी पूर्व रिबेट को संस्थान के बिल में (392665 रूपये) समायोजित कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।<br><br>कृत कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए इस आडिट आपत्ति को समाप्त करने का कष्ट करें। |

| क0 सं0 | माह | भुगतान करने की तिथि जो बिल में अंकित है | वास्तव में जमा करने की तिथि | धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2021 | 16.03.2021 | – | 3187160 |
| 2 | 2/2021 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 152500 |
| 3 | 12/2020 | 16.12.2020 | – | 3209490 |
| 4 | 10/2020 | 10.10.2020 | 17.10.2020 | 4409150 |
| 5 | 09/2020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 4450316 |
| 6 | 08/2020 | 19.08.2020 | 24.08.2020 | 4606270 |
| 7 | 05/2020 | 19.05.2020 | – | 1691304 |
| 8 | 04/2020 | 15.04.2020 | 05.2020 | 5374476 |
| | | | योग | 27080666 |

| माह | वास्तव में जमा करने की तिथि |
|---|---|
| 03/2021 | 20.03.2021 |
| 12/2020 | 11.12.2020 |
| 09/2020 | 10.09.2020 |
| 05/2020 | 18.05.2020 |

| प्रस्तर | आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|---|
| प्रस्तर 8 (भाग 2ब) | **संस्थान द्वारा जल मूल्य कम वसूल किया जाना रू0 10.41 लाख।** | श्रीमान् |

सी0पी0डब्लू0डी0 निदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या 07/05/2013/W-11/DG/CPWD/1084 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार विभिन्न श्रेणी के आवासीय भवनों से वाटर चार्ज में वसूल की जाने वाली धनराशि निम्नलिखित दर से निर्धारित की गयी है:-

| क0सं0 | आवासों की श्रेणी | | सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित दर प्रतिमाह रू0 में |
|---|---|---|---|
| | संस्थान द्वारा निर्धारित श्रेणी | सी0पी0डब्लू0 डी0 द्वारा निर्धारित श्रेणी | प्रतिमाह रू0 में |
| 1 | Type W | VI | 65 |
| 2 | Type D | IV | 50 |
| 3 | Type A | VII | 65 |
| 4 | Type B | VI | 65 |
| 5 | Type H | II | 40 |
| 6 | Type IH-A | IV | 50 |
| 7 | Type C | VI | 65 |
| 8 | Type C | VA | 50 |
| 9 | Type G | III | 40 |
| 10 | Director Residence | VII | 65 |

सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित जल मूल्य में टाइप VII श्रेणी के क्वाटर के लिये जल मूल्य का निर्धारण नहीं है इसलिये इस टाइप के क्वाटर के लिये न्यूनतम रू0 65/- टाइप VI के लिये सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित जल मूल्य दर की गणना मानी जा रही है।

संस्थान के जल मूल्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संसथान द्वारा विभिन्न श्रेणी के आवासी भवनों से सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित दरों से जल मूल्य के रूप में कम वसूल की गई धनराशि निम्नलिखित है:-

| क0 सं0 | आवासों की श्रेणी | आवासों की संख्या | संस्थान द्वारा निर्धारित दर रू0 में | अन्तर प्रतिमाह रू0 में (CPWD की दर संस्थान की दर) x आवास की संख्या x12 | अन्तर प्रतिमाह रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Type W | 04 | 05 | (65-5) x 4 x 12 | 2880 |
| 2 | Type D | 16 | 05 | (50-5) x 16 x 12 | 8640 |
| 3 | Type A | 27 | 06 | (65-6) x 27 x 12 | 19116 |
| 4 | Type B | 28 | 05 | (65-5) x 28 x 12 | 20160 |
| 5 | Type H | 40 | 02 | (40-2) x 40 x 12 | 18240 |
| 6 | Type IH-A | 44 | 03 | (50-3) x 44 x 12 | 24816 |
| 7 | Type C | 20 | 03 | (65-3) x 20 x 12 | 14880 |
| 8 | Type C | 48 | 03 | (50-3) x 48 x 12 | 27072 |
| 9 | Type G | 84 | 03 | (40-3) x 84 x 12 | 37296 |
| 10 | Director Residence | 01 | 06 | (65-6) x 01 x 12 | 708 |
| | | | | कुल धनराशि | 142272 |

**संस्थान का उत्तर:**

श्रीमान्

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के आवासीय परिसर मे स्थित विभिन्न श्रेणी के आवासों को सम्पदा निदेशालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.06.2020 के दिशा निर्देश के अनुरूप श्रेणीबद्व करते हुए इनका जलमूल्य निर्धारित करने के पश्चात 03 दिसम्बर 2021 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है (प्रति संलग्न)। यह आदेश 01 जुलाई 2020 से लागू हो गया है।

दिनांक 01.04.2015 से बकाये जलमूल्य की वसूली के लिए इस संस्थान से 17 दिसम्बर 2021 को (प्रति संलग्न) आदेश जारी कर दिया गया। अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2021 तक के बकाया जल मूल्य की धनराशि रू0 7,05,244.00 की वसूली अप्रैल 2022 के वेतन से कर ली गयी है (प्रति संलग्न)।

संशोधित दर से जलमूल्य की कटौती जनवरी 2022 के माह से नियमित रूप से की जा रही है।

आडिट आपत्ति समाप्त करने का कष्ट करें।

| | | |
|---|---|---|
| | इस प्रकार उक्त नियमों की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल राशि रू0 142272/– संस्थान द्वारा अवासीय भवनों पर आवंटियों से जलमूल्य कम वसूल किया गया है। विगत लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक संसथान द्वारा रू0 899051.00 आवासीय भवनों से जलमूल्य कम जमा कराया गया, और इस बिन्दु को उठाया गया था। किन्तु संस्थान क्षरा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, और नह विगत जलमूल्य की वसूली आवंटियों से की गई है। इस प्रकार संसथान द्वारा वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक कुल रू0 1041323/–(899051+142272) कम वसूला गया है। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तम में बताया गया कि इस सम्बन्ध में सूचना दिनांक 17.12.2021 को निर्गत की जा चुकी है सम्बन्धित वसूली लेखा विभाग द्वारा कर ली जायेगीं। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि वसूली अभी लम्बित है। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। | 259 |

243

| प्रस्तर | आडिट आपत्ति | संस्थान का उत्तर |
|---|---|---|
| प्रस्तर 9<br>(भाग 2ब) | **अनियमित कय रू0 527.23 लाख।**<br>As per Government E Market Place Para 2.3.3.2.4 the Gem platform shall be a dynamic online market place with new categories of goods/services continuously being added. In situations where the product/service is not supported on the platform or there is insufficient completion basis specification input by the buyer including service shall be deemed not available for procurement on the GeM platform and the buyer shall be allowed to download a report for the purpose of audit and shall allow the buyer to show verifiable proof for procuring outside the GeM platform.<br>As per GFR 149, "The procurement of goods and services by Ministry or Department will be mandatory for goods and services available on GeM.<br>मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के कय पत्रावली की जॉच में पाया गया कि रू0 52723492.00 की विभिन्न सामग्री आउट साइड जेम से कय किया गया। उक्त सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध थी अथवा नहीं, इस बात का कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के अभाव में यह स्पष्ट नही हो सका कि उक्त आइटम जेम सपोर्टेड थी अथवा नहीं।<br>सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि आडिट द्वारा वांछित प्रश्नों के उत्तर एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न है किन्तु कोई भी प्रपत्र संलग्न नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेम में अनुपलब्धता तथा कय समिति के अनुमोदन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।<br>प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है। | श्रीमान्<br>भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ओ0एम0 एफ–6/18/2019 पीडीपी दिनांक 23.01.2020 से जेम पोर्टल पर सामग्री के उपलब्ध न होने सम्बन्धित रिपोर्ट GeMAR&PTS की सुविधा उपलब्ध हो गयी है।<br><br>जुलाई 2020 से पूर्व GeM पोर्टल पर वस्तु के उपलब्ध न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं थी। इन परिस्थितियों में मॉगकर्ता (Indenter) द्वारा इस आशय की एक घोषणा लेने के पश्चात ही अन्य विधियों से सामग्री का कय किया जाता था [कुछ Indent (मॉगपत्र) सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है]।<br><br>जुलाई 2020 से GeMAR&PTS की सुविधा उपलब्ध होने के पश्चात अनुमोदित मांगपत्रों के सापेक्ष जेम पोर्टल पर सामग्री उपलब्ध न होने सम्बन्धित रिपोर्ट की छायाप्रतियां आडिट अवधि में ही आडिट टीम को उपलब्ध कराया गया था छायाप्रातियां पुन संलग्न हैं (संलग्न)।<br><br>आडिट आपत्ति समाप्त करने का कष्ट करें। |